

राजस्थान सरकार  
परिवहन विभाग

क्रमांक :-प.6 (55) परि/कर/मुं./87

जयपुर दिनांक :- 20.03.2012

कार्यालय आदेश 02/2012

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 5/98, 22/98, 68/2003, 20/2005, 9/2007 3/08, 4/09, 7/10 एवं 03/2011 द्वारा समय-समय पर समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों/जिला परिवहन अधिकारियों/ कराधान अधिकारियों को निर्देशित किया जाता रहा है कि जो वाहन जिस जिले में पंजीकृत हैं/फिटनेस ले रहे हैं/कर खाता है अथवा वाहन के पंजीयन के पश्चात अगर किसी अन्य जिले में हस्तांतरण हो चुका है जिसका इन्द्राज वाहन की पंजीयन पुस्तिका में है, उन्हें कर देयता हेतु निर्धारित तिथि तक उसी जिले में स्वतः कर जमा कराने का अवसर दिया जावे। तत्पश्चात् उक्त वाहनों के द्वारा निर्धारित तिथि तक स्वतः कर नहीं जमा कराने पर किसी भी जिले में सक्षम अधिकारी द्वारा बकाया राशि मय शास्ति एवं प्रशमन राशि के वसूल की जावे।

परन्तु इस सम्बन्ध में बार-बार निर्देशित किये जाने के बाद भी ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कई परिवहन निरीक्षक/उपनिरीक्षक अपने लक्ष्य पूर्ति हेतु अन्य जिलों में पंजीकृत तथा फिटनेस लेने वाले वाहनों, विशेषकर भार वाहनों से निर्धारित देय तिथि से पूर्व ही कर वसूल लेते हैं जिससे राजस्व संग्रहण पंजिका के संधारण तथा वाहन स्वामी को कर का सत्यापन देने एवं एम टी सी IV जारी करने में समस्या आती है।

अतः यह पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों तथा पूर्व में इस सम्बन्ध में जारी समस्त कार्यालय आदेशों की पालना अक्षरशः की जावे। किसी भी स्तर पर उक्त आदेशों की अवहेलना करने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यावाही की जावेगी तथा उनके द्वारा अन्य जिलों में देय कर की वसूली निर्धारित तिथि से पूर्व करने पर यह राशि उन्हें आवंटित लक्ष्य का भाग नहीं मानी जावेगी।

(दीपक उग्रेती)

परिवहन आयुक्त एवं  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त, राजस्थान जयपुर
3. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय
5. समस्त प्रादेशिक/अति./जिला परिवहन अधिकारी
6. प्रभारी कर संग्रह केन्द्र

अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (स.सु.)